



हरियाणा पंचायती राज संस्थाओं में महिला सशक्तिकरण में आरक्षण की भूमिका

*पूजा

**डॉ. अशोक कुमार यादव

सारांश :

लोकतांत्रिक शासन प्रणाली आधुनिक युग में सबसे अधिक लोकप्रिय शासन प्रणाली के रूप में विकसित हुई हैं, विश्व के अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया जा चुका है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के अन्तर्गत शासन सत्ता में आम जन की बिना किसी भेदभाव के भागीदारी की सुनिश्चितता सम्भव है, जो कि अन्य किसी शासन प्रणाली में इतनी व्यापक रूप से सम्भव नहीं है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में आम जन की सुनिश्चित सहभागिता लोकतंत्र की सफलता का परिचायक ही नहीं है, अपितु शासन संचालन की सुविधा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में आमजन की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय शासन व्यवस्था एक प्रमुख कड़ी के रूप में स्वीकारी जाती है। भारतीय लोकतंत्र में स्थानीय शासन व्यवस्था के महत्व को स्वीकार करते हुये संविधान में नीति-निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत स्थानीय शासन व्यवस्था को अपनाये जाने पर बल दिया गया, जो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अन्तर्गत पंचायतीराज व्यवस्था के रूप में कानूनी रूप में प्रभावी हुयी। पंचायतीराज व्यवस्था में आमजन की सहभागिता बिना किसी भेदभाव सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई, लेकिन सदियों से लैंगिक भेदभाव के कारण भारत में महिलाओं को शासन सत्ता से दूर रखा गया, लेकिन, लोकतंत्र के बुनियादी आदर्श स्वतंत्रता व समानता के अनुरूप महिलाओं की शासन सत्ता में पुरुषों के समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक रूप से आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ताकि महिलाएँ भी शासन सत्ता में अपनी भागीदारी से लोकतंत्र की जड़े मजबूत कर सकें। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत 73वें संविधान के अन्तर्गत महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आरक्षण के प्रावधान से ही निश्चित रूप से स्थानीय स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की सहभागिता में वृद्धि हुई है तथा महिला सशक्तिकरण को दिशा मिल सकी है।

शब्द कुंजी: लोकतंत्र, सहभागिता, पंचायती राज, आरक्षण, संविधान, महिला सशक्तिकरण।

प्रस्तावना:—

लोकतंत्र जो कि जनता के शासन का पर्याय माना जाता है मूलतः स्वतंत्रता, समानता, न्याय व भातृत्व रूपी आदर्श मूल्यों पर आधारित है। भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जो कि लोकतांत्रिक आदर्श मूल्यों के अनुरूप प्रगति की ओर अग्रसर है। भारतीय लोकतंत्र में आम जन की शासन सत्ता में

*शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, सिंघानिया विश्वविद्यालय, पचेरी बड़ी, जिला झुन्झुनू (राजस्थान)।

**पर्यवेक्षक—सिंघानिया विश्वविद्यालय, पचेरी बड़ी, जिला झुन्झुनू (राजस्थान)।

भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रभावी रूप से संवैधानिक प्रावधान किया गया है। सदियों से शासन सत्ता में महिलाओं की सहभागिता को भारत में ही नहीं अपितु विश्व स्तर पर नकारा गया है, लेकिन आधुनिकता के इस दौर में महिला व पुरुषों के मध्य लैंगिक भेदभाव की संकीर्ण मानसिकता पर व्यापक स्तर पर प्रहार हुआ है। आधुनिक युग में महिलाओं को पुरुषों से कम आंकना बेवकुफी भरी सोच के अतिरिक्त कुछ नहीं हैं, लेकिन वर्तमान में भी रूढ़ीवादी लोगों की कमी नहीं है, जो महिलाओं के प्रति संकीर्ण मानसिकता के कारण उन्हें आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। भारत में सदियों से लैंगिक भेदभाव भारतीय समाज में बना रहा है इसी भेदभाव को खत्म करने के लिए ही संविधान निर्माताओं ने संविधान में मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकारों का प्रावधान किया है तथा लैंगिक भेदभाव को दण्डनीय माना है। महिलाओं की पुरुषों के समान शासन सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से स्थानीय शासन व्यवस्था में महिलाओं के लिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है जो कि विभिन्न राज्यों के द्वारा अपने स्तर पर 50 प्रतिशत तक किया जा चुका है। हरियाणा में भी पंचायती राज अधिनियम, 1994 प्रभावी रूप से 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की पालनार्थ अस्तित्व में लागू किया गया है। हरियाणा पंचायतीराज अधिनियम के अन्तर्गत महिलाओं व अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है ताकि शासन सत्ता में इनकी सहभागिता सुनिश्चित की जा सके और महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया जा सके।

शोध साहित्य समीक्षा :

- भावना, डॉ. शिव :- हरियाणा पंचायतीराज अनुसूचित जाति व महिला आरक्षण के विशेष संदर्भ में 73वें संवैधानिक संशोधन के प्रभावों का तुलनात्मक अध्ययन, जे. वी. पब्लिशिंग हाउस, जोधपुर – द्वारा लिखित ग्रंथ में अनुसूचित जाति महिलाएँ महेन्द्रगढ़ व रेवाड़ी जिले के संदर्भ में अध्ययन किया गया है। इसमें हरियाणा पंचायतीराज अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत पंचायतीराज संस्थाओं में अनुसूचित जाति व महिलाओं हेतु किये गये आरक्षण के प्रावधान के सन्दर्भ में विश्लेषण किया गया है।
- वाजपेयी, अशोक व वर्मा एम. एस.:- पंचायतीराज इन इण्डिया ए न्यू थ्रस्ट, साहित्य प्रकाशन, दिल्ली, उक्त पुस्तक के अन्तर्गत भारत में पंचायतीराज व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की पृष्ठभूमि व उक्त अधिनियम का विस्तृत विवेचन किया गया है।
- सिंह, हरज्ञान: पंचायतीराज इन हरियाणा, इन्दिरा पब्लिकेशन, गुडगाँव, प्रस्तुत पुस्तक में हरियाणा पंचायती राज संस्थाओं की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का विवेचन किया गया है।
- राठौड़, मधु: पंचायतीराज और महिला विकास, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, प्रस्तुत पुस्तक में ग्रामीण महिलाओं की स्थिति की विवेचना के साथ महिलाओं की पंचायतीराज संस्थाओं में भूमिका का उल्लेख किया गया है तथा महिलाओं हेतु कानूनी प्रावधानों का विवेचन किया गया है, साथ ही ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु सुझाव भी प्रस्तुत किये गये हैं।

शोध का उद्देश्य :-

प्रस्तुत शोध पत्र के निम्न उद्देश्य हैं –

- पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की स्थिति ज्ञात करना।
- महिला सशक्तिकरण हेतु आवश्यक दशाओं की जानकारी दर्शाना।
- महिला आरक्षण का मूल्यांकन करना।
- पंचायतीराज संस्थाओं में महिला सशक्तिकरण का मूल्यांकन करना।
- पंचायतीराज संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता का विश्लेषण करना।

परिकल्पना :-

भारतीय संस्कृति में महिलाओं को देवी का दर्जा प्रदान किया गया है लेकिन वास्तविक रूप से महिलाओं को शासन सत्ता से दूर रखा ही नहीं रखा गया है, अपितु महिलाओं को अनेक बंधनों में जकड़े रखा गया है। स्वतंत्र भारत में महिलाओं को संवैधानिक रूप से पुरुषों के समान दर्जा प्रदान किया गया है। शासन सत्ता में महिलाओं की सहभागिता को बढ़ाने हेतु महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिससे महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि होने के साथ-साथ महिला सशक्तिकरण को बल मिला है।

शोध प्रविधि :-

प्रस्तुत शोध कार्य का मुलतः अध्ययन क्षेत्र हैं, हरियाणा राज्य हैं, इसमें पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं के सशक्तिकरण में आरक्षण के महत्व का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। शोध पत्र में प्राथमिक स्रोत आँकड़े संचय हेतु निदर्शन पद्धति का प्रयोग किया गया हैं, तथा द्वितीयक स्रोत के अन्तर्गत संबंधित साहित्यिक ग्रंथ, शोध ग्रंथ, शोध पत्र, पत्रिकाएँ, पंचायतीराज विभाग की रिपोर्ट, समाचार पत्र व इंटरनेट का उपयोग किया गया है।

हरियाणा पंचायतीराज अधिनियम, 1994 में महिला आरक्षण का प्रावधान :-

73वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत में पंचायतीराज व्यवस्था के संवैधानिक आधार की दृष्टि से नींव का पत्थर माना जाता है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अन्तर्गत ही पंचायतीराज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जा सका। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर आम जन की शासन सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करना व ग्रामीण विकास को नया आयाम प्रदान करना है। अधिनियम के प्रभावी रूप में अस्तित्व में आने से पहले भी पंचायतीराज संस्थाएँ बनी हुयी थी, लेकिन सम्पूर्ण भारत में इन संस्थाओं की संरचना में एकरूपता नहीं थी, तथा इन संस्थाओं को कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इनका अस्तित्व राज्य सरकारों की इच्छानुसार परिवर्तित होता रहा है। पंचायतीराज संस्थाओं में चुनाव भी नियतकालीन नहीं होते थे, तथा प्रभावशाली लोगों का ही प्रभुत्व बना रहता था, व महिलाओं की भागीदारी तो ना के बराबर रही। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अन्तर्गत इन समस्त खामियों को दूर करने का संवैधानिक स्तर पर प्रयास किया गया तथा महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 243घ (3) के अन्तर्गत महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। “प्रत्येक पंचायत के

प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई स्थान (जिनके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और जन जातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित संख्या भी है) स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आवंटित किये जा सकेंगे।¹ हरियाणा में भी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की पालनार्थ हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 लागू किया गया जिसमें भी महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में अधिनियम की धारा – 9 के अन्तर्गत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा – 9 (2) के अनुसार “धारा 9(2) के अन्तर्गत उपधारा (1) के अन्तर्गत आने वाले आरक्षित स्थानों की कुल संख्या का कम से कम एक तिहाई महिलाओं के लिए (इसमें अनुसूचित जाति की महिलाएं भी शामिल होगी) आरक्षित होंगे – उपधारा (1) तथा (2) के अधीन आने वाले आरक्षित स्थान किसी पंचायत में विभिन्न वार्डों में चक्रानुक्रम तथा लाट द्वारा आवंटित किए जा सकते हैं।”²

हरियाणा में महिला सशक्तिकरण में आरक्षण की भूमिका :-

पंचायती राज संस्थाओं में महिला आरक्षण का प्रावधान निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम माना जाता है। हरियाणा पंचायतीराज अधिनियम 1994 के प्रभावी होने से पहले हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी नाममात्र की रही है, परंतु इस अधिनियम के प्रभावी होने के बाद निरंतर पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हो रही है। महिलाओं के लिए पंचायतीराज संस्थाओं में एक-तिहाई आरक्षण के प्रावधान के बाद निरंतर महिलाओं में सशक्तिकरण की दिशा को बल मिल रहा है। महिला पहले घर की चारदीवारी तक सीमित रहती थी, लेकिन पंचायतीराज संस्थाओं में आरक्षण की बढौलत सक्रिय राजनीति में कदम रखने का अवसर मिलने से इनके हौसले बुलंद होने लगे हैं। वर्तमान हरियाणा में ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं राजनीतिक स्तर पर पुरुषों के समकक्ष खड़ी होने का अदम्य शाहस का परिचय दे रही हैं। राजनीतिक जागरूकता के अभाव में यही महिलाएं अपने अधिकारों से अनभिज्ञ थी, लेकिन अब अपने अधिकारों को भलीभांति समझने लगी हैं। महिलाओं की स्थिति में अब निरंतर सुधार देखा जा सकता है, आर्थिक क्षेत्र में भी अब महिलाएं अपनी क्षमता का परिचय भलीभांति दे रही हैं।

हरियाणा पंचायतीराज निर्वाचन निर्वाचन 2016 में एक तिहाई आरक्षण के बावजूद महिलाओं ने आरक्षित स्थानों से अधिक स्थानों पर अपनी पकड़ बनाकर महिला सशक्तिकरण का परिचय दिया है। हरियाणा में कुल जिला परिषद स्थानों की संख्या 416 में 181 स्थानों पर महिला निर्वाचित हुई हैं इसी प्रकार पंचायत समिति में कुल 2997 में 1258 स्थान सरपंच कुल पद 6186 में 2565 तथा पंच कुल पद 60436 में से 25495 पदों पर महिला निर्वाचित होने में सफल रही हैं,³ ये आंकड़े इस बात का परिचायक हैं कि महिलाओं में जागरूकता में वृद्धि हुई है तथा महिला सशक्तिकरण को नवीन दिशा मिल रही है। निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति में जो सुधार देखा जा रहा है इसमें आरक्षण का विशेष योगदान माना

¹ भारत का संविधान: भारत सरकार विधि एवं न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) राजभाषा खण्ड, अनुच्छेद 243घ पृ. स. 147।

² धारा – 9, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994।

³ डॉ. शिव भावना: हरियाणा पंचायतीराज अनुसूचित जाति व महिला आरक्षण के विशेष संदर्भ में 73 वें संवैधानिक संशोधन के प्रभावों का तुलनात्मक अध्ययन, जे. वी. पब्लिशिंग हाउस, जोधपुर पृ.स. 119।

जाना चाहिए, क्योंकि आरक्षण के प्रावधान से पहले महिलाएँ अपने आपको सामाजिक बंधनों व पुरुषों की संकीर्ण मानसिकता के कारण स्वतंत्र रूप से अपने अधिकारों का प्रयोग करने से वंचित रही हैं। यद्यपि पंचायतीराज संस्थाओं में अब भी महिलाओं का शोषण किया जाता है, लेकिन पहले की तुलना में ये बहुत कम हो रहा है, जो कि महिला सशक्तिकरण का परिचायक है। “73वें संवैधानिक संशोधन से पहले हरियाणा में महिलाओं की पंचायतों में स्थिति बहुत ही निम्न स्तर की थी। सामान्य रूप से प्रतिनिधित्व के लिए उनका चुनाव दुर्लभ परिस्थितियों में ही होता था। संशोधन ने उनके लिए इन संस्थाओं में स्थान बनाया है।”⁴ निश्चित रूप से ये स्पष्ट है कि पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान उन्हें अतीतकाल से जकड़ी बेड़ियों से मुक्ति दिलाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम मिला है, जिसके बल पर महिलाएँ निरंतर सशक्तिकरण की ओर अग्रसर हो रही हैं।

निष्कर्ष :-

भारतीय समाज में सदियों से महिलाओं का विभिन्न स्तर पर शोषण होता रहा है, स्वतंत्र भारत में भी महिला उत्पीड़न की स्थिति विविध स्तर पर बनी रही है। शोषण व भेदभाव के कारण महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय रही है लेकिन महिलाओं के उत्थान हेतु भी विविध स्तर पर प्रयास किये जाते रहे हैं, परंतु व्यवहारिक दृष्टि से लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था में महिलाओं की पुरुषों के समान शासन संचालन में भागीदारी सुनिश्चित करना ही सबसे महत्वपूर्ण प्रयास कहा जा सकता है। यदि शासन संचालन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी तो निश्चित रूप से राजनीतिक जागृति के साथ महिलाओं में आत्मविश्वास को बढ़ावा मिल सकेगा, जिसके परिणामस्वरूप महिलाएँ विविध स्तर पर होने वाले भेदभाव का दृढ़ता से मुकाबला कर सकेंगी। भारतीय संविधान में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किये गये हैं, परंतु इसके बावजूद महिलाओं की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हो सका। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत व्यवहारिक रूप से महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने का बेहतरीन प्रयास महिला आरक्षण के प्रावधान से किया गया, स्थानीय स्तर पर महिलाओं की राजनीतिक सहभागीता सुनिश्चित होने के पश्चात् निश्चित रूप से आरक्षण के प्रभाव से महिलाओं की राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं अपितु अन्य क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका में अप्रत्याशित वृद्धि होने लगी है, जिससे महिला सशक्तिकरण की अवधारणा को व्यवहारिक स्थिति प्रदान करने का मार्ग खुला है। पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण की दिशा में नींव का पत्थर साबित हो रहा है। हरियाणा में पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किये जाने के बाद व्यवहारिक रूप से इनकी स्थिति में व्यापक स्तर पर सुधार देखा जा सकता है, यद्यपि अभी महिला सशक्तिकरण की दिशा में और प्रयास किये जाने की आवश्यकता निश्चित रूप से है इसी प्रयास में अभी हाल ही में हरियाणा पंचायतीराज संस्थाओं में महिला आरक्षण एक तिहाई से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है, जो इस बात का द्योतक है कि आरक्षण की भूमिका महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण है।

⁴ डॉ. शिव भावना: हरियाणा पंचायतीराज अनुसूचित जाति व महिला आरक्षण के विशेष संदर्भ में 73 वें संवैधानिक संशोधन के प्रभावों का तुलनात्मक अध्ययन, जे. वी. पब्लिशिंग हाउस, जोधपुर पृ.स. 119।